रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– Kanpur City – 67/2015–2017

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में
सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

अति आवश्यक सूचना

जनता के डिमाण्ड पर यह स्थान हमने आपके विज्ञापन हेतु सुरक्षित रखा है इसे आप अपना बनाकर एक छोटा सा विज्ञापन देकर अपने व्यवसाय में चार चाँद लगा कर व्यवसाय बढ़ा सकते हैं।

2 बार विज्ञापन प्रकाशित कराने पर तीसरा विज्ञापन बिलकुल मुफ्त गज़ट की ओर से प्रकाशित किया जायेगा – सम्पादक

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014

वर्ष –38 ● अंक –18 ● कानपुर 16 से 30 सितम्बर 2016 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य –₹100

उत्तर प्रदेश में क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेन्ट एक्ट लागू

राज्यपाल ने जारी की अधिसूचना

- अब तो पंजीकरण कराना ही पड़ेगा
- कानून का अब चलेगा डण्डा
- बिना पंजीयन मुशकिल होगी प्रैक्टिस
- अब तो छोड़ दीजये हीला–हवाली
- शीघ्र होगी पारदर्शी व्यवस्था
- पंजीयन कराना नैतिक जिम्मेदारी
- अपंजीकृतों पर होगी सख्त कार्यवाही
- अब स्थानीय पुलिस भी करेगी जाँच

देश की जनता को शिक्षित और योग्य चिकित्सकों के माध्यम से एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत चिकित्सा सुविधा मिले इस महत्वाकांक्षी और अच्छे उद्देश्य के लिए भारत सरकार ने 2010 में एक एक्ट पास किया था, जिसका नाम है क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेन्ट एक्ट 2010, इस एक्ट को सभी राज्य सरकार सहित केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने–अपने राज्यों में लागू करना है।

जब यह एक्ट आया था उस समय उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मायावती सरकार ने इस एक्ट को लागू नहीं किया था लेकिन केन्द्र सरकार के दबाव के बाद अन्ततः 6 वर्ष के उपरान्त प्रदेश की समाजवादी सरकार ने इस एक्ट का लागू कर दिया है।

उत्तर प्रदेश राज्य में इस एक्ट को यू0पी0 क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेन्ट (रजिस्ट्रेशन एण्ड रिगुलेशन) रूल्स 2016 का नाम दिया है, कई वर्षों से लागू होने के लिए लाम्बित और कई पड़ाव को पार करने के बाद यह कानून उत्तर प्रदेश में नियम बन कर प्रभावी हो गया है इसके लिए 11 जुलाई, 2016 को प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी ने अधिसूचना भी जारी कर दी है और यह गज़ट भी हो चूका है। इस कानून को लागू होते ही अब प्रदेश में चिकित्सा एवं चिकित्सा से सम्बन्धित किसी भी कार्य को करने की सूचना व आवश्यक जानकारियां विभाग को उपलब्ध करानी होंगी। चिकित्सा में चिकित्सा व्यवसाय सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है इसलिए प्रत्येक चिकित्सक को अपने चिकित्सा कार्य से सम्बन्धित जानकारियां अपने सम्बद्ध विभाग को उपलब्ध करानी होंगी।

प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए पंजीयन की व्यवस्था दी गयी है यह व्यवस्था कई स्तरीय है प्रथम चिकित्सक को अपनी परिषद में पंजीयन कराना होता है उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हर चिकित्सक को अपने पंजीयन का आवेदन अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के यहां देना है।

इधर तीन अगस्त को एक संशोधन हुआ है और उस संशोधन के अनुसार अब एलोपैथी का पंजीयन जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी आयुर्वेदिक व युनानी चिकित्सक का पंजीयन विभागीय क्षेत्राधिकारी के यहां व होम्योपैथिक चिकित्सकों का पंजीयन जनपद के ज़िला होम्योपैथिक अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए सरकार ने अभी कोई पृथक व्यवस्था नहीं की है इसलिए जब तक कोई नई व्यवस्था निर्मित नहीं होती है तब तक पंजीयन का आवेदन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहां प्रेषित करना होगा। अभी तक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक इस विषय पर शान्त बैठे हैं लेकिन अब जब प्रदेश में प्रदेश सरकार द्वारा क्लीनिकल इस्टैबिलशमेन्ट एक्ट लागू कर ही दिया गया है तो यह आवश्यक हो गया है कि पंजीयन के विषय को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार करते हुए अपना आवेदन जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में अवश्य प्रस्तुत कर दें। यदि आपने अभी भी अपने पंजीयन का आवेदन प्रेषित नहीं किया है तो यह निश्चित मानिये कि आप अर्ह चिकित्सक के रूप में चिकित्सा व्यवसाय करने के अधिकारी नहीं रहेंगे।

इस नियम को लागू होने के बाद पंजीयन का आवेदन मात्र बाध्यता ही नहीं वरन् आवश्यकता है। चूंकि यदि आप ने पंजीयन का आवेदन नहीं किया तो चिकित्सक की श्रेणी से स्वतः बाहर हो जायेंगे। आपको यह जानकारी हो जानी चाहिये कि इस अभियान का प्रदेश स्तर पर अधिकारी प्रमुख सचिव है और ज़िले स्तर पर इसका अधिकारी जिलाधिकारी है। जिलाधिकारी को यह अधिकार है कि वह असली व नकली चिकित्सकों की जांच के लिए स्थानीय प्रशासन (पुलिस) का सहयोग ले सकता है जिलाधिकारी चाहे तो मुहल्ले स्तर पर पुलिस चौकी के माध्यम से चिकित्सकों के पंजीयन की जांच करा सकता है।

पंजीकृत चिकित्सकों के विरूद्ध दण्डनीय कार्यवाही भी कर सकता है। यह अधिकार केवल इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों के लिए ही नहीं वरन् किसी भी मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति का चिकित्सक यदि चिकित्सा व्यवसाय कर रहा है परन्तु उसने पंजीयन का आवेदन नहीं किया है। तो मान्यता प्राप्त पद्धति का चिकित्सक भी अयोग्य और अप्रशिक्षत चिकित्सक की श्रेणी में आ जाता है और उसके विरूद्ध वही कार्यवाही सम्भव है जो किसी झोलाछाप चिकित्सक के खिलाफ सम्भव है। चिकित्सा व्यवसाय करने से सम्बन्धित जानकारी न देना संज्ञेय अपराध की श्रेणी में है अस्तु हर इलेक्ट्रो होम्योपैथ को चाहिये कि समय रहते अपना पंजीयन का आवेदन अवश्य प्रस्तुत कर दें जो चिकित्सक अभी भी मान्यता और गैर मान्यता के चक्कर में पड़े हैं उनको अपने मन से ऐसे निराधार विचार त्याग देने चाहिये क्योंकि एक ही तरह का कार्य करने के लिए अलग–अलग नियम और कानून नहीं होते, हाँ यह अवश्य है कि कार्य की क्षमता और स्तर के अनुरूप व्यवस्थाओं में अन्तर ज़रूर रहता है चिकित्सा व्यवसाय जनता से जुड़ा सीधा विषय है इसलिए सरकार का यह कर्तव्य है कि उसके साथ (जनता) कोई खिलवाड़ न कर सके। स्वास्थ्य भोजन से ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है स्वस्थ्यता से ही हर कार्य सम्भव है इसलिए कोई भी सरकार स्वास्थ्य के विषय में समझौता नहीं करना चाहेगी और यह भी आवश्यक है कि जो चिकित्सक जिस विधा का हो वह अपनी ही विधा से चिकित्सा व्यवसाय करे, जो चिकित्सक अपनी विधा को छोड़कर अन्य विधायें अपनाते हैं वे चिकित्सक भी असंवैधानिक के साथ–साथ अनाधिकार चेष्टा भी करते हैं अस्तु जो चिकित्सक इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं इन कार्यों से विरत हो जायें, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को यह भलीभांति जान लेना चाहिये कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति है। इस चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 4 जनवरी, 2012 को बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के पक्ष में शासनादेश जारी किया जा चुका है और इस शासनादेश के अनुपालन हेतु चिकित्सा विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी चिकित्सा महानिदेशक स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 द्वारा इस आदेश के अनुपालन हेतु 2 सितम्बर, 2013 को प्रदेश के समस्त अपर निदेशकों सहित सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है कि वे अपने स्तर से प्रदेश सरकार द्वारा पारित आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करायें।

इसका परिणाम यह हुआ कि प्रदेश स्तर पर अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी विधा से चिकित्सा व्यवसाय करना आसान है परन्तु पंजीयन के विषय पर सजग रहने की आवश्यकता है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी का
इतिहास संजोए
व
बढ़ते कदमों की
जीती–जागती तस्वीर
A Saga of
Electro Homoeopathy
(A Documentry Film)
का लोकार्पण
नवम्बर के तीसरे
या चौथे रविवार को
नई दिल्ली में
संभावित है
एम0 इदरीस खान
निर्माता एवं वितरक
मो:– +91 9311565014

पंजीयन की सच्चाई

एक बार पूरे प्रदेश में फिर से पंजीयन का मुद्दा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों के मध्य चर्चा का विषय बना हुआ है, कल तक हमारे जो साथी पंजीयन के विषय पर नकारात्मक राय रखते थे आज वही लोग पंजीयन की सर्वाधिक वकालत कर रहे हैं। पंजीयन होना आवश्यक है या नहीं ?यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो यह है कि प्रदेश में जो भी चिकित्सक चिकित्सा व्यवसाय करेगा वह अपने पंजीयन का आवेदन जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में अवश्य करेगा, यद्यपि आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं, बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अब मुख्य चिकित्साधिकारी सिर्फ़ एलोपैथी चिकित्सकों का पजीयन करेंगे, आयुर्वेदिक–युनानी के लिए आयुर्वेदिक क्षेत्राधिकारी तथा होम्योपैथिक चिकित्सकों का पंजीयन जिला होम्योपैथिक अधिकारी करेंगे, परन्तु जब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों के लिए किसी नई व्यवस्था का निर्माण नहीं होता है, तब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों को अपने पंजीयन का आवेदन अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के यहां ही करना है।

अब यह प्रश्न यह उठता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सन्दर्भ में कौन चिकित्सक चिकित्सा व्यवसाय हेतु पात्र है और वह कौन से चिकित्सक हैं जिन्हें अपनी पात्रता सिद्ध करनी है। वैसे हमने अभी तक यह भेद नहीं किया, आप लोगों को याद होगा कि 4 जनवरी, 2012 को जब उत्तर प्रदेश शासन ने बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के लिए शासनादेश जारी किया था उसके बाद पहली ही पत्रकार वार्ता में हमने कहा था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी सबके लिए है, हम अपने इस वाक्य पर अभी भी अडिग हैं।

लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं वह हमें विवश कर रही हैं कि हम सिर्फ़ अपने ही चिकित्सकों का संरक्षण करें इस वस्तुस्थिति से प्रदेश का हर संस्था संचालक वाकिफ़ है कि प्रदेश में चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान का कार्य करने का अधिकार किस संस्था को प्राप्त है ?अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए विभिन्न संस्था संचालकों द्वारा जो प्रयास किये गये उससे हर व्यक्ति परिचित है और इन प्रयासों से जो परिणाम प्राप्त हुए वह भी किसी से छिपे नहीं हैं। अधिकारिता के लिए 22 जनवरी, 2015 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिस ढंग से प्रचार किया गया उसकी सच्चाई भी धीरे– धीरे लोगों के सामने आने लगी है पिछले दिनों कुछ जनपदों के अधिकारियों ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों की जांच का कार्य प्रारम्भ किया और अधिकारियों द्वारा चिकित्सा व्यवसाय करने की अधिकारिता के सम्बन्ध में जानकारी चाही, यद्यपि हर अधिकारी इस बात से भली–भाँति परिचित है कि प्रदेश में सिर्फ़ बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के लिए ही शासनादेश जारी है और इसी संस्था से शिक्षित, प्रशिक्षित एवं पंजीकृत चिकित्सक ही चिकित्सा व्यवसाय हेतु अधिकृत हैं। फिर भी अधिकारी जो मांगे उसे उपलब्ध कराना चाहिये तभी अधिकारी संतुष्ट होता है, बोर्ड ने हर अधिकारी को संतुष्ट कर रखा है कुछ जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों ने बाकायदा यह लिख कर स्वीकार किया है कि बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 से पंजीकृत चिकित्सक ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विधा से चिकित्सा व्यवसाय कर सकता है। जैसाकि हमारे संगठन की परम्परा है कि हम कुछ भी गोपनीय नहीं रखते हैं हमने इन पत्रों को सार्वजनिक किया, लोगों ने ऐसी जुगत जुटाई और ऐसे प्रचारित किया कि मानों 4 जनवरी, 2012 का आदेश प्रदेश के सभी चिकित्सकों के ऊपर प्रभावी है हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों के हितों से खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं सच्चाई कभी छिपती नहीं है और अधिकारों पर अतिक्रमण या बलात अधिकारी बनना कभी भी लाभप्रद नहीं होता, ऐसा नहीं कि इस तरह के प्रयास पहली बार किये गये हैं लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व गोरखपुर के सज्जन ने इसी तरह का प्रयास किया था उसके परिणाम जो हुए वह प्रयास करने वाला अच्छी तरह से जानता है, इसलिए अभी भी समय है कि लघु मार्ग छोड़कर कार्य करने की आदत डालें हमारी लड़ाई सम्पूर्ण इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए होती है और हमारा उद्देश्य सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथों के कल्याण का है।

अपने और दूसरे की भावना से ऊपर उठकर कार्य करना हमारी संस्कृति में है। इसके उपरान्त भी यदि कोई व्यर्थ का प्रयास करेगा तो परिणाम पूर्ववत ही होंगे।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी सनसनीख़ेज़ ख़बर नहीं है

ख़बरों में रहना किसे नहीं अच्छा लगता है ! ख़बरों में बने रहने के कई लाभ हैं यश बढ़ता है सामाजिक स्तर में बढ़ोत्तरी होती है, लोगों के मध्य रूतबा अपने आप बढ़ने लगता है और कुछ आवे न आवे आप में अंहकार तो आ ही जाता है।

इसलिए ख़बरों में उतना ही रहना चाहिये जितना उचित हो यदि आप बेवजह ख़बरों में रहेंगे तो बे मतलब की प्रतिक्रियायें आने लगेंगी यह बात सामान्य जन से लेकर विशिष्ट जन तक पर लागू होती है, आजकल हमारे कुछ साथी स्वयं को ख़बर में बनाये रखने के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी को ख़बरों में बनाये रखते हैं यदि ख़बरें सार्थक हों तो उन ख़बरों का अर्थ भी होता है और जो ख़बरें बे–वजह बनायी जाती हैं वे ख़बरों के स्थान पर अफ़वाह बनकर रह जाती हैं और यह हम सभी जानते हैं कि अफ़वाहें, अफ़वाहें होती हैं उनका कोई स्तर नहीं होता है लेकिन अफ़वाहें जिनके लिए उड़ाई जाती हैं उनका नुकसान अवश्य हो जाता है, सस्ती लोकप्रियता के लिए ख़बरों को सनसनीख़ेज ख़बरें बनाना कभी भी दीर्घ कालीन लाभकारी नहीं होता है लेकिन पता नहीं हमारे साथियों को क्या हो गया है ?कि वे अच्छी खबरों को भी इस तरह सनसनीख़ेज़ ख़बर बनाकर प्रस्तुत करते हैं कि उनकी सत्यता पर ही प्रश्नचिन्ह खड़ा हो जाता है, जब एक बार किसी भी बात पर प्रश्नचिन्ह खड़ा होता है तो धीरे–धीरे विश्वसनीयता स्वतः कम होने लगती है इसका परिणाम यह होता है कि जो हमारे अपने साथी हैं उन्हें आपस में ही एक दूसरे पर ही उंगली उठाने का अवसर मिल जाता है और उठी हुई उंगली कभी भी गलत परिणाम दे जाती है। आज कल सोशल मीडिया का ज़माना है जिसकी जो इच्छा होती है वह कह लेता है और जो इच्छा होती है वह दिखा लेता है हम इलेक्ट्रो होम्योपैथ हैं इस लिए हमारे अधिकांश साथी इलेक्ट्रो होम्योपैथी से ही जुड़े हैं और हम सभी मानसिक और भावनात्मक रूप से इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए हैं इसलिए कहीं से भी यदि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से सम्बन्धित कोई जानकारी कोई देता है तो उस जानकारी की तह तक जाने का मन करता है 4 जनवरी, 2012 के बाद से इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आमूलचूल परिवर्तन आया है लोगों में नये उत्साह के साथ साथ नई उम्मीदों ने भी जन्म लिया है और यह मन की प्रकृति होती है कि वह जितना पाता है उससे और भी ज़्यादा पाने का प्रयास करता है 2004 से 2011 तक हम सभी ने निराशा और हताशा में समय काटा है लेकिन प्रयासों के बाद जब 21 जून, 2011 को भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया के प्रतिवेदन पर सकारात्मक रूख अपनाते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान का जो मार्ग प्रशस्त किया उससे न केवल किसी एक संगठन को अपितु सम्पूर्ण भारत के इलेक्ट्रो होम्योपैथों में जो उत्साह का संचरण हुआ उसका प्रवाह अभी भी नहीं रूक रहा है, हमारे चिकित्सक स्फूर्त हैं और मन में कार्य करने की एक नई ललक पैदा हुई है।

यह वह सच्ची ख़बर थी जिसने मृतवत इलेक्ट्रो होम्योपैथी को एक नया जीवन दिया, यह वह ख़बर थी जिसने कि समूचे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जगत को एक साथ चेतना दी थी, यह तो उस समय की बात है जब सोशल मीडिया का इतना प्रचार नहीं था लोग–बाग समाचार पत्रों पर ही आश्रित रहते थे और कभी कभी तो परस्पर संवाद ही समाचारों को प्रचारित करने में महत्ती भूमिका निभाते थे, समय बदल रहा समाचारों के आदान प्रदान का स्वरूप भी बदल चुका है लेकिन जो स्वरूप बदल रहा है उसकी विश्वसनीयता भी घटती जा रही है।

कुछ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की संस्थायें भी अपने आप को प्रचार में रखना चाहती हैं इसलिए प्रचार के जो भी माध्यम हैं उनका वह भरपूर प्रयोग करते हैं, इसे हम एक संयोग ही कहेंगे कि आज से कुछ वर्षों पहले पूरे देश में सैकड़ों की संख्या में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शीर्ष संस्थायें हुआ करती थीं कुछ दर्जन संस्थायें ऐसी भी थीं जो अपने आप को राष्ट्रीय घोषित करती थीं समय का चक्र कुछ ऐसा चला कि संस्थाओं का अस्तित्व ही संकट में आ गया आज की सत्यता यह है कि देश में जिन संस्थाओं को अधिकार पूर्वक कार्य करने का अधिकार है उनकी गणना उंगली के पोर में गिनी जा सकती है, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं इसलिए हमारा सारा ध्यान उत्तर प्रदेश पर ही रहता है, उत्तर प्रदेश में नियमों और कानूनों के अनुपालन में मात्र एक ही संस्था शेष है जो सम्पूर्ण प्रदेश में अधिकारिता के साथ कार्य कर सकती है वैसे एक अन्य संस्था के पास भी सीमित अधिकार हैं। जब अधिकारों की बात आती है तो अधिकार पाने की लालसा से अन्य संस्थाओं ने जो कुछ भी किया उसका लाभ उन्हें नहीं मिला, स्थिति यह बन गयी है कि आज के दिन उत्तर प्रदेश में दो तरह की संस्थायें हो गयी हैं, एक अधिकार प्राप्त और दूसरी जो अधिकार पाने के लिए अभी भी कभी–कभी प्रयास कर लेते हैं।

हमारी इच्छा है कि प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे देश में अधिकारपूर्वक इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करें लेकिन हम इसे सब की विडम्बना ही कहेंगे कि कार्य कोई नहीं कर रहा है सिर्फ़ अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और अपने आप को इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सबसे बड़ा समर्थक बनाने के लिए जिस तरह के कार्य किये जा रहे हैं वह कभी–कभी हास्यास्पद हो जाते हैं जैसे मान्यता के लिए पूरे देश में एक अभियान चलाया जा रहा है लेकिन इस अभियान को कभी भी अन्तिम पड़ाव नहीं मिला,क्योंकि अभियान की सफ़लता के लिए जो कार्यक्रम करने चाहिये उनका तनिक समावेश नहीं किया जाता है और जब अभियान वास्तविकता से दूर होता है तो उसकी सफ़लता हर समय संदिग्ध ही रहती है।

दूसरी बात यह भी है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो कुछ भी किया जाता है उसे इतना बढ़ा–चढ़ा कर बता दिया जाता है कि सामने वाला एक पल तो उस चकाचौंध में भ्रमित हो जाता है परन्तु जब वास्तविकता सामने आती है तो समझने वाला व्यक्ति बताने वाले व्यक्ति पर विश्वास करना बन्द कर देता है, उदाहरण स्वरूप मान्यता का बिल सदन में प्रस्तुत ही नहीं किया गया और इसका इतना प्रचार कर दिया गया कि मानों मान्यता मिल ही जायेगी। एक संस्था प्रमुख ने तो समाचार पत्रों को विज्ञप्ति जारी कर मान्यता के लिए हर्ष भी जता दिया, कुछ ऐसी छोटी–छोटी बाते हैं जो देखने और सुनने में तो बहुत छोटी लगती हैं लेकिन जब यथार्थ के धरातल पर उसकी कसौटी होती है तो परिणाम नकारात्मक आते हैं इन नकारात्मक परिणामों का प्रभाव भी होता है कि जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक पूरे मनोयोग से इस आन्दोलन में लगा रहता है उसके अन्दर अविश्वास के साथ नकारात्मकता जन्म ले लेती है जो आसानी से दूर नहीं होती है।

अस्तु जितने भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जिम्मेदार व्यक्ति हैं या वह लोग, जो अपने आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सबसे बड़ा सेवक और समर्थक घोषित करते हैं उनका यह दायित्व है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की लड़ाई तो लड़ें मगर लड़ाई के स्वरूप को न बिगड़ने दें।

क्योंकि यह एक चिकित्सा पद्धति है कोई सनसनीख़ेज़ ख़बर नहीं है।

विवादों पर भारी पड़गई आस्था

श्रद्धांजलि दे मैटी को किया गया याद

अधिकार पूर्वक कार्य करते हुए ही समाज को अपनी उपयोगिता बतायी जा सकती है और समाज में स्थापित हुआ जा सकता है यह विचार बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चेयरमैन डा0 एम0एच0 इदरीसी ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आविष्कारक डा0 काउण्ट सीज़र मैटी की 120 वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बोर्ड के प्रशासनिक कार्यालय में आयोजित निर्वाण दिवस कार्यक्रम में व्यक्त किये

डा0 इदरीसी ने कहा कि यद्यपि 150 वर्षों से मैटी की पद्धति प्रचलन में है लेकिन उसे अभी भी वह सामाजिक स्वीकारिता नहीं प्राप्त है जो प्राप्त होनी चाहिये।

ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति जनोपयोगी न हो यह पद्धति जनोपयोगी है गुणकारी है साध्य और असाध्य दोनों तरह के रोगों पर समान रूप से प्रभावी है फिर भी स्थान क्यों नहीं ले पा रही है ?यह चिन्ता की बात नहीं है अपितु इसके लिए अधिकारपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है अभी तक जो कार्य किये गये हैं उसी का परिणाम है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने का अधिकार प्राप्त हो गया है, आज के दिन हम सबको यह संकल्प लेना चाहिये कि हम सब जो जिस क्षेत्र से जुड़ा है वह अधिकार पूर्वक इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कार्य करे, आज के दिन यही महात्मा मैटी को सच्ची श्रंदाजलि होगी।

कार्यक्रम का प्रारम्भ मैटी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित करके हुआ फिर बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 के रजिस्ट्रार डा0 अतीक अहमद ने कहा कि ज्यों–ज्यों हमें अधिकार मिलते जा रहे हैं हमारे दायित्व भी बढ़ते जा रहे हैं, हम तो अपने दायित्वों का पूरी ईमानदारी से निर्वाहन करेंगे इसलिए हम अपने चिकित्सकों व साथियों से यह अपेक्षा भी करते हैं कि वह पूरी तत्परता से कार्य करेंगे और हमने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने के लिए जो मापदण्ड तय किये हैं उसे पूरा करने में हमें पूरा सहयोग देंगे।

डा0 अहमद ने कहा कि 120 वर्ष पूर्व मैटी जी जिस सपने को पूरा करना चाहते थे हम सब मिल कर उनके सपनों को पूरा करें यही हमारा कर्तव्य है।

बोर्ड के सक्रिय सहयोगी डा0 मिथलेश कुमार मिश्रा ने कहा जीवन और मरण तो शास्वत सत्य है कोई सदैव जीवित नहीं रहता है यह शरीर नश्वर है इसे छोड़ना ही होता है परन्तु अपने जीवन काल में मनुष्य जो अच्छे कार्य कर जाता है वह उन्हीं कार्यों पर याद किया जाता है, गाँधी और बुद्ध हमारे मध्य नहीं हैं परन्तु उनकी सीखें हमें आज भी प्रेरणा देती हैं। इसी तरह से महात्मा मैटी सशरीर हमारे मध्य नहीं हैं परन्तु उन्होंने मानवता की सेवा के लिए जिस अमूल चिकित्सा पद्धति को जन्म दिया उससे पूरे विश्व की मानवता लाभान्वित हो रही है।

हम आज का दिन इसलिए मनाते हैं कि हम यह याद रखें कि महात्मा मैटी ने जो कार्य अपने जीवन काल में प्रारम्भ किये थे उनको उत्तरोत्तर गति देते हुए विकास की तरफ़ बढ़ें। जन्म और मृत्यु की तिथियां और इन पर विवाद निरर्थक है यह हमारी आस्थाओं का विषय है यदि आस्थायें मज़बूत हों तो वह हर विवाद पर भारी पड़ती हैं। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए डा0 प्रमोद शंकर बाजपेयी ने कहा कि अब वह समय आ गया है जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी की सार्थकता सिद्ध करने की ज़िम्मेदारी हम सभी के कधों पर है इसलिए हर एक को अपने दायित्वों का पालन करते हुए कार्य करना होगा, क्योंकि बिना कार्य के कुछ भी नहीं प्राप्त होता, कार्य करने के लिए उचित समय और उचित वातावरण है हम सब लोगों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिये। कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार दिये व मैटी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मो0 वसीम और मो0 नसीम इदरीसी की भी उपस्थिति रही।

डा0 एम0एच0 इदरीसी चेयरमैन बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 महात्मा मैटी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुये

डा0 अतीक अहमद रजिस्ट्रार बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 महात्मा मैटी को पुष्प अर्पित करते हुये। छाया–गज़ट

डा0 प्रमोद शकर बाजपेई महासचिव इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इडिया महात्मा मैटी को श्रद्धा सुमन अर्पण करते हुये

महात्मा मैटी की 120 वीं पुण्य तिथि पर डा0 मिथलेश कुमार मिश्रा मैटी जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुये। छाया – गज़ट

पंजीयन अभियान मिलकर चलायेंगे इन्सटीट्यूट और केन्द्र

प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए पंजीयन कराना बहुत आवश्यक है, अभी तक तो मात्र जो चिकित्सक जिस विधा में आर्हताधारी है उसे अपनी परिषद में पंजीयन कराने के साथ–साथ जिस राज्य में आप चिकित्सा व्यवसाय करना चाहते हैं उसे राज्य में प्रचलित कानूनों के अनुसार पंजीयन कराना होता है हम सब उत्तर प्रदेश में रहते हैं इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य में प्रैक्टिस के लिए राज्य सरकार द्वारा पारित नियमों कानूनों के अनुसार ही कार्य करना होगा बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 जो कि प्रदेश में एक मात्र शासकीय आदेश प्राप्त शीर्ष संगठन है, आप सब इस बात से अवगत होंगे कि प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए व शैक्षणिक व अनुसंधान कार्य अधिकारपूर्वक करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा 4 जनवरी, 2012 को बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा पंजीकृत चिकित्सकों व बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों को कार्य करने का अधिकार शासनादेश जारी कर प्रदान किया गया है परन्तु उत्तर प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय हेतु अपनी परिषद में पंजीयन के साथ–साथ जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन का आवेदन करना होता है।

बोर्ड ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रदेश व्यापी पंजीयन अभियान चलाया और अपने चिकित्सकों को जागरूक किया कि यदि उन्हें आधिकारपूर्वक चिकित्सा व्यवसाय करना है तो उन्हें अपने पंजीयन का आवेदन अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में कर देना चाहिये इस अभियान को आंशिक सफलता भी मिली अन्य संस्थाओं द्वारा पंजीयन के विषय का मज़ाक बनाने के कारण और यह प्रचारित करना कि पंजीयन सिर्फ मान्यता प्राप्त चिकित्सकों को ही कराना है परिणामतः चिकित्सक दिशा भ्रमित हो गया और दो राहे में जैसा खड़ा होकर किन्तु और परन्तु की तरह अनिर्णय की स्थिति में बना रहा लेकिन समय और परिस्थितियां पल–पल बदलती हैं।

इसलिए नई बदली हुई परिस्थिति में यह चिकित्सक अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं। मान्यता मिलना और कार्य करना दो अलग–अलग बातें हैं यदि आप को कार्य करना है तो वही करना होगा जो अन्य कार्य करने वाले करते हैं यथा सावधानी पूर्वक चलने के लिए बायीं तरफ़ चला जाता है यदि कोई व्यक्ति दायीं तरफ़ चलता है और कहता है कि मुझसे किसी ने बायीं तरफ़ चलने के लिए नहीं कहा है तो मैं बायीं तरफ़ क्यों चलूँ और दायीं तरफ़ चलते हुए मेरे साथ अभी तक कोई दुर्घटना भी नहीं घटी, इस तरह के जवाब किसी भी तरह से बौद्धिकता की श्रेणी में नहीं आता है, यहां लिखने का तात्पर्य यह है कि यदि दुर्घटना नहीं घटती है तो क्या जीवन भर गलत काम ही किया जायेगा? कानून का शिंकजा जब कसता है तो वर्षों की कसर चन्द मिनटों में निकाल लेता है चिकित्सक की उम्र चाहे कितनी भी क्यों न हो ! लेकिन वह बोर्ड का छात्र है इसलिए हमारा यह नैतिक दायित्व है कि हम उसे सही मार्ग पर चलने की आवश्यकता बतायें और यदि वह दिशा भ्रमित है ! तो उसे दिशा देने का प्रयास करते हैं। चूंकि बदली हुई परिस्थितियों में पंजीयन का स्तर भी बदल गया है और अब मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों का पंजीयन उनके सक्षम अधिकारी करेंगे चूकि अभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता नहीं प्राप्त हुयी है और न ही सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पंजीयन के लिए पृथक व्यवस्था की गयी है तब तक हर इलेक्ट्रो होम्योपैथ को अपने पंजीयन का आवेदन जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में प्रेषित करना है।

इस अभियान को सफल बनाने के लिए बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की प्रबन्ध समिति ने कुछ ठोस निर्णय लिए हैं, लेकिन इन निर्णयों को मूर्त रूप देने के लिए स्टडी सेन्टर और इन्सटीट्यूट संचालकों की सहभागिता आवश्यक है इसलिए एक मीटिंग लखनऊ में आयोजित कर निर्णयों को लागू करने की व्यवस्था की गई है।

क्या आप चिकित्सक बनना चाहते हैं ?
प्रतिस्पर्धा की होड़ से बचें !
मँहगी डोनेशनयुक्त
मेडिकल शिक्षा लेने में असमर्थ हैं !
तो
इलेक्ट्रो होम्योपैथी विकल्प है
भारत सरकार के आदेश संख्या
C.30011/22/2010-HR
व
उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 2914/पांच–6–10–23रिट/11
एवं
2 सितम्बर 2013 को क्रियान्वित आदेश के अनुसार
प्रदेश में विधि सम्मत ढंग से स्थापित बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0
द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों
क्रमशः

M.B.E.H. अवधि 3 वर्ष
अर्हता 10 + 2 P.C.B.
F.M.E.H. अवधि 2 वर्ष (4 सेमेस्टर)
अर्हता 10 + 2 उत्तीर्ण
A.C.E.H. अवधि 1 सेमेस्टर
अर्हता किसी भी राज्य परिषद द्वारा पंजीकृत चिकित्सक/2 वर्षीय मेडिकल अथवा पैरा मेडिकल पाठयक्रम उत्तीर्ण चिकित्सक
प्रवेश लेकर
अधिकारिक चिकत्सक बनकर
देश व समाज को चिकित्सा के क्षेत्र में अपना योगदान दें।

विस्तृत जानकारी हेतु कृपया www.behm.org.in पर log in करें।

BOARD OF ELECTRO HOMOEOPATHIC MEDICINE,U.P.

8-Lal Bagh, Kamla Sharma Marg, Lucknow-226001 E-mail registrarbehmup@gmail.com

PROGRAMME FOR EXAMINATION September 2016

Name of the course	27 th September, 2016 Tuesday	28 th September, 2016 Wednesday	29 th September, 2016 Thursday	30 th September, 2016 Friday
F.M.E.H. 1st. Semester	Anatomy & Physiology	Pharmacy &Philosophy	XX	XX
F.M.E.H. 2nd. Semester	Pathology	Hygiene & Health	Environmental Science	XX
F.M.E.H. 3rd. Semester	Opthalmology including E.N.T.	M.Jurisprudence & Toxicology	Dietetics	XX
F.M.E.H. Final Semester	Obstetrics & Gynaecology	Materia Medica	Practice of Medicine	XX
A.C.E.H.	Anatomy & Physiology	Pharmacy- Philosophy & Materia Medica	Pathology-Hygiene and M.Jurisprudence	Midwifery Gynics, Opthalmology & Practice of Med.

Timing → 8:00 A.M.to 11:00 A.M.

Ateeq Ahmad
Examination Incharge

बी0ई0एच0एम0 के लिए डा0 अतीक अहमद द्वारा गजट प्रेस 126 टी/22 'ए' रामलाल का तालाब, जूही, कानपुर–208014 से मुद्रित एवं मिथलेश कुमार मिश्रा द्वारा कम्प्यूटराइज्ड करा कर 9/1 पीली कालोनी, जूही, कानपुर–208014 से अपलोड किया।